दैनिक भास्कर 6
जोधपुर. शनिवार. 28 सितंबर, 2013

सिंघवी को आयकर नोटिस पर अंतरिम रोक

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्यसभा सदस्य और उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी को आयकर विभाग की ओर से दिए गए नोटिस व आगामी कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है। आयकर विभाग ने सिंघवी के चार वित्तीय वर्ष के एसेसमेंट ऑर्डर को री-ओपन करते हुए उनको नोटिस जारी किए थे। सिंघवी ने उच्च न्यायालय में चार रिट याचिकाएं दायर कर इसे चुनौती दी। सिंघवी की ओर से दिल्ली से आए अधिवक्ता अजय वोहरा व अधिवक्ता रमित मेहता ने दलील दी कि एक बार एसेसमेंट सम्पन्न करने के बाद आयकर विभाग बिना किसी कारण के एसेसमेंट ऑर्डर को री-ओपन नहीं कर सकता। लिहाजा, आयकर विभाग की ओर से भेजे गए नोटिस और कार्रवाई अनुचित एवं विधिविरुद्ध है। सुनवाई के बाद न्यायाधीश डॉ. विनीत कोठारी ने आयकर विभाग के नोटिस और इस सम्बन्ध में की जाने वाली आगामी कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया।

राजस्थान पत्रिका
जोधपुर . शनिवार
28.09.2013

अभिषेक मनु सिंघवी के खिलाफ जारी आयकर नोटिस पर अंतरिम रोक

भास्कर न्यूज | जोधपुर

राजस्थान हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सदस्य अभिषेक मनु सिंघवी के खिलाफ आयकर विभाग द्वारा जारी नोटिस पर अंतरिम रोक लगाते हुए विभाग के अधिकारियों से जवाब तलब किया है। यह आदेश न्यायाधीश डॉ.विनीत कोठारी ने सिंघवी की ओर से दायर चार याचिकाओं की सुनवाई के तहत दिए।

अदालत में सिंघवी की ओर से पैरवी करते हुए दिल्ली से आए अधिवक्ता अजय वोहरा और रमित मेहता ने कहा कि सिंघवी की ओर से वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09 और 2009-10 के लिए पेश एसेसमेंट को पुनः खोलते हुए सहायक आयुक्त (आयकर) की ओर से नोटिस जारी किए गए थे। उनका कहना था कि एक बार एसेसमेंट किए जाने के बाद उसे बिना किसी ठोस कारण पुनः नहीं खोला जा सकता। विभाग ने मामले को दुबारा खोलने के बाद भेजे गए नोटिसों में कहीं भी किसी कारण का जिक्र नहीं किया है।